अनुलग्नक-III

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र परिवहन निगम लिमिटेड की सीएसआर गतिविधियों पर वार्षिक प्रतिवेदन वित्तीय वर्ष 2021–22 के लिए

क्र.सं.	विवरण	टिप्पणी
1.	कंपनी की सीएसआर नीति पर संक्षिप्त रूपरेखा	1. कार्य किये जाने वाले क्षेत्रों को पहचानना, हितधारकों की अपेक्षाओं को ध्यान में रखना जो एनसीआरटीसी द्वारा चयनित क्षेत्रों, परियोजनाओं या कार्यक्रमों में परिणाम–उद्देश्य आधारित और प्रभाव उत्पन्न कर सकती हैं, जिन्हें एनसीआरटीसी सीएसआर के लिए शुरू करने की योजना बना रहा है। 2. इन सीएसआर परियोजनाओं या कार्यक्रमों के निष्पादन की पद्धतियाँ एवं प्रक्रियाएं। 3. ऐसी सीएसआर परियोजनाओं या कार्यक्रमों की प्रक्रिया पर नजर रखना। 4. उपरोक्त उद्देश्य के लिए पर्याप्त रूप से सशक्त संगठनात्मक संरचना का निर्माण करना।
2.	सीएसआर समिति की संरचनाः	

क्र.सं.	निदेशक का नाम	निदेशक का पद और प्रवृत्ति	वर्ष के दौरान आयोजित सीएसआर समिति की बैठकों की संख्या	वर्ष के दौरान सीएसआर समिति की बैठकों की संख्या में भाग लिया
i.	श्रीमती अर्चना अग्रवाल, सदस्य सचिव, एनसीआरपीबी	अध्यक्ष	1	1
ii.	श्री दीपक कुमार, उत्तर प्रदेश के नामित निदेशक	सदस्य	1	1
iii.	श्री ओ पी सिंह, रेल मंत्रालय के नामित निदेशक	सदस्य	1	–

3.	वह सभी वेब–लिंक प्रदान करें जहां कंपनी की वेबसाइट पर सीएसआर समिति की संरचना, सीएसआर नीति और बोर्ड द्वारा अनुमोदित सीएसआर परियोजनाओं को प्रकट किया गया है	https://www-ncrtc-in/csr/
4.	कंपनी (कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व नीति) नियम, 2014 के नियम 8 के उप–नियम (3) के अनुपालन में की गयी सीएसआर परियोजनाओं के प्रभाव मूल्यांकन का विवरण प्रदान करें (रिपोर्ट संलग्न करें), यदि लागू हो,	लागू नहीं, क्योंकि परियोजना अभी पूरी नहीं हुई है
5.	वित्तीय वर्ष के लिए निर्धारित करने के लिए आवश्यक राशि और कंपनीज (कॉर्पोरेट सोशल रेस्पों. सिबिलिटी पालिसी) नियम 2014 के नियम 7 के उपनियम 3 के अनुपालन में निर्धारित किए जाने के लिए उपलब्ध राशि का विवरण	लागू नहीं

क्र.सं.	वित्तीय वर्ष	पिछले वित्तीय वर्ष से उपलब्ध सेट ऑफ निधि/राशि (रूपए में)	इस वित्तीय वर्ष से उपलब्ध की जाने वाली सेट ऑफ निधि/राशि (रूपए में)
i.	2019–20	–	–
ii.	2020–21	–	–
iii.	2021–22	–	–
	योग	–	–

₹ लाख में

6.		धारा 135(5) के अनुसार कंपनी का औसत शुद्ध लाभ।	2935.20
7.	क)	वित्तीय वर्ष 2021–22 के लिए अधिनियम की धारा 135(5) के अनुसार कंपनी के औसत शुद्ध लाभ का दो प्रतिशत	58.71
	ख)	पिछले वित्तीय वर्षों की सीएसआर परियोजनाओं या कार्यक्रमों या गतिविधियों से उत्पन्न अधिशेष	–
	ग)	वित्तीय वर्ष के लिए समायोजित करने के लिए आवश्यक राशि, यदि कोई हो	–
	घ)	वित्तीय वर्ष के लिए कुल सीएसआर दायित्व (7क+7ख-7ग)	58.71

8. (क) वित्तीय वर्ष के लिए खर्च या अव्ययित सीएसआर राशिः

वित्तीय वर्ष के लिए व्यय की गई कुल राशि (रुपये में)	अव्ययित राशि (लाख में रूपए)				
	धारा 135(6) के अनुसार अव्ययित सीएसआर खाते में हस्तांतरित कुल राशि		धारा 135(5) के द्वितीय प्रावधान के अनुसार धारा VII के अंतर्गत किसी विशेष फंड में हस्तांतरित राशि		
	राशि	स्थानांतरण की तिथि	फंड का नाम	राशि	स्थानांतरण की तिथि
लागू नहीं	58.71	23.04.2022	लागू नहीं	–	लागू नहीं

(ख) वित्तीय वर्ष के लिए चल रही परियोजनाओं के लिए व्यय की गयी सीएसआर राशि का विवरणः

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	
क्र.सं.	परियोजना का नाम	अधिनियम की धारा VII में गतिविधियों की सूची से आइटम	स्थानीय क्षेत्र (नहीं/ हां)	परियोजना का स्थान		परियोजना अवधि	परियोजना के लिए आवंटित राशि (₹ लाख में)	चालू वित्तीय वर्ष में व्यय की गई राशि (₹ लाख में)	धारा 135(6) के अनुसार परियोजना के लिए अव्ययित सीएसआर खाते में हस्तांतरित राशि (₹ लाख में)	कार्यान्वयन का तरीका– प्रत्यक्ष (नहीं/हां)	कार्यान्वयन का तरीका – कार्यान्वयन एजेंसी के माध्यम से	
				राज्य	जिला						नाम	सीएसआर पंजीकरण राशन संख्या
1.	कौशल विकास/ प्रशिक्षण कार्यक्रम/ बागवानी, आधुनिक कृषि पद्धतियों में कौशल विकास के लिए अन्य समर्थकारी कार्य	पैरा (ii)	हाँ	उत्तर प्रदेश	गाजियाबाद	3 साल	58.71	–	58.71	हाँ	–	–

(ग) वित्तीय वर्ष के लिए चल रही परियोजनाओं के अलावा अन्य परियोजनाओं पर व्यय की गई सीएसआर राशि का विवरणः लागू नहीं

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	
क्र.सं.	परियोजना का नाम	अधिनियम की धारा VII में गतिविधियों की सूची से आइटम	स्थानीय क्षेत्र (नहीं/ हां)	परियोजना का स्थान		परियोजना अवधि	परियोजना के लिए आवंटित राशि (₹ लाख में)	चालू वित्तीय वर्ष में व्यय की गई राशि (₹ लाख में)	धारा 135(6) के अनुसार परियोजना के लिए अव्ययित सीएसआर खाते में हस्तांतरित राशि (₹ लाख में)	कार्यान्वयन का तरीका– प्रत्यक्ष (नहीं/हां)	कार्यान्वयन का तरीका – कार्यान्वयन एजेंसी के माध्यम से	
				राज्य	जिला						नाम	सीएसआर पंजीकरण राशन संख्या
लागू नहीं												

₹ लाख में

(घ)	प्रशासनिक ओवरहेड में व्यय की गयी राशि।	शून्य
(ई)	प्रभाव आकलन पर खर्च की गई राशि, यदि लागू हो।	शून्य
(च)	वित्तीय वर्ष के लिए खर्च की गई कुल राशि (8b+8c+8d+8e)	शून्य

(छ) समायोजन के लिए अतिरिक्त राशि, यदि कोई हो

क्र.सं.	विशेष	₹ लाख में
i.	धारा 135(5) के अनुसार कंपनी के औसत शुद्ध लाभ का दो प्रतिशत	58.71
ii.	वित्तीय वर्ष के लिए व्यय की गई कुल राशि	–
iii.	वित्तीय वर्ष के लिए व्यय की गई अतिरिक्त राशि [(ii)–(i)]	–
iv.	सीएसआर परियोजनाओं या पिछले वित्तीय वर्षों के कार्यक्रमों या गतिविधियों से उत्पन्न अधिशेष, यदि कोई हो	–
v.	आगामी वित्तीय वर्षों में समायोजन के लिए उपलब्ध राशि [(iii)&(iv)]	–

9. (क) पिछले तीन वित्तीय वर्षों के लिए अव्ययित सीएसआर राशि का विवरण:

क्र.सं.	पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष	धारा 135 (6) के अंतर्गत अव्ययित सीएसआर खाते में हस्तांतरित राशि (लाख में रूपए)	प्रतिवेदित वित्तीय वर्ष में व्यय की गई राशि (लाख में रूपए)	धारा 135(6) के अनुसार धारा VII के अंतर्गत निर्दिष्ट किसी भी फंड में स्थानांतरित राशि, यदि कोई हो तो			शेष राशि को वित्तीय वर्षों के सफल समापन में खर्च किया जाना है। (₹ लाख में)
				फंड का नाम	राशि (लाख में रूपए)	स्थानांतरण की तिथि	
1	2018–19	–	–	–	–	–	
2	2019–20	–	–	–	–	–	
3	2020–21	29.47	13.34*	–	–	–	16.13
	योग	**29.47**	–	–	–	–	**16.13**

*चालू सीएसआर परियोजना के लिए अव्ययित सीएसआर खाते (2020–21) में से ₹13.34 लाख रुपये खर्च किए गए।

(ख) पिछले वित्तीय वर्ष (वर्षों) की चल रही परियोजनाओं के लिए वित्तीय वर्ष में व्यय की गई सीएसआर राशि का विवरण

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
क्र.सं.	परियोजना आईडी	परियोजना का नाम	वित्तीय वर्ष जिसमें परियोजना शुरू की गई थी	परियोजना अवधि	परियोजना के लिए आवंटित कुल राशि (रुपये में)	रिपोर्टिंग वित्तीय वर्ष में परियोजना पर खर्च की गई राशि (रुपये में)	वित्तीय वर्ष की रिपोर्टिंग के अंत में खर्च की गई संचयी राशि (रुपये में)	परियोजना की स्थिति – पूर्ण/ जारी।
1	–	कौशल विकास/ प्रशिक्षण कार्यक्रम/ बागवानी, आधुनिक कृषि पद्धतियों में कौशल विकास के लिए अन्य समर्थकारी कार्य	2020–21	तीन साल (2024 तक)	88.18	13.34	13.34	चल रहे
	योग				**88.18**	**13.34**	**13.34**	

नोट: सीएसआर समिति और निदेशक मंडल ने वित्तीय वर्ष 2021–22 के लिए 'आधुनिक कृषि पद्धतियों में कौशल विकास/प्रशिक्षण कार्यक्रम' के चल रहे सीएसआर कार्यक्रम के लिए ₹ 58.71 लाख का खर्च करने की स्वीकृति प्रदान की है। तदनुसार, कंपनी ने स्वीकृत कार्यक्रम पर व्यय के

लिए 23.04.2021 को ₹ 58.71 लाख की अव्ययित राशि एक अलग बैंक खाते में जमा कर दी है। वित्त वर्ष 2020–21 के लिए अव्ययित सीएसआर खाते में जमा ₹ 29.47 लाख में से 31 मार्च 2022 तक ₹ 13.34 लाख खर्च किए गए हैं। इस प्रकार, स्वीकृत कार्यक्रम के लिए 31.03.2022 तक कुल सीएसआर अव्ययित राशि ₹ 74.84 लाख है।

10.	पूंजीगत संपत्ति के निर्माण या अधिग्रहण के मामले में, वित्तीय वर्ष में व्यय की गए सीएसआर के माध्यम से इस प्रकार बनाई या अर्जित की गई संपत्ति से संबंधित विवरण (**संपत्ति–अनुसार विवरण**) प्रस्तुत करें ।		
	क)	पूंजीगत संपत्ति (संपत्तियों) के निर्माण या अधिग्रहण की तिथि	शून्य
	ख)	पूंजीगत संपत्ति के निर्माण या अधिग्रहण के लिए व्यय की गई सीएसआर की राशि	शून्य
	ग)	इकाई या सार्वजनिक प्राधिकरण या लाभार्थी का विवरण जिनके नाम पर ऐसी पूंजीगत संपत्ति पंजीकृत है, उनका पता आदि	शून्य
	घ)	सृजित या अर्जित (पूंजीगत संपत्ति का पूरा और स्थान सहित) पूंजीगत संपत्ति (संपत्तियों) का विवरण प्रदान करे	शून्य

11. **यदि कंपनी धारा 135(5) के अनुसार औसत शुद्ध लाभ का दो प्रतिशत व्यय करने में असफल रही है तो इसका कारण प्रदान करें:** कंपनी स्वीकृत चालू परियोजना के लिए धारा 135(5) के अनुसार सीएसआर राशि खर्च कर रही है।

हस्ता/-

विनय कुमार सिंह
प्रबंध निदेशक
डीआईएन : 06497700

हस्ता/-

अर्चना अग्रवाल
(अध्यक्ष सीएसआर समिति)
डीआईएन संख्या: 02105906

दिनांक: 15.07.2022
स्थान: नई दिल्ली